

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 732] No. 732] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 2015/अग्रहायण 9, 1937

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 2015/AGRAHAYANA 9, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 907(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल (क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते) नियम, 2006 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 3 अक्तूबर, 2007 में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 1693 (अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2007 का और संशोधन करती है, अर्थात्:—

- 2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-
- "(3) सुश्री वाई. रे. चौधरी, वाणिज्यिक संपरीक्षक के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, संपरीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता, ओल्ड निजाम पैलेस, प्रथम तल, कोलकाता – 700020
- यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

सदस्य" ।

[फा. सं. 2/23/2006-पी आई] मनोज कुमार, संयुक्त सचिव 3.

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,, खंड 3, उपखंड (ii) में सा.का.िन. संख्यांक 1693 (अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.िन. संख्यांक 69(अ) तारीख 6 फरवरी, 2012 और सा.का.िन. 645 (अ) तारीख 15 सितंबर, 2014 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2015

G.S.R. 907(E).—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), read with sub-rule (1) of rule 8 of Cost and Works Accountants (Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 1693 (E) dated the 3rd October, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd October, 2007, namely:-

2. In the said notification, for serial number (3) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

"(3) Ms. Y Ray Chaudhuri, Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member, Audit Board-II, Kolkata, Old Nizam Palace, 1st Floor, Kolkata – 700020. Member".

This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/23/2006 -PI] MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection(ii) *vide* number G.S.R. 1693(E), dated the 3rd October, 2007 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 6th February, 2012, and G.S.R. 645(E), dated the 15th September, 2014.